**राजस्थान सरकार**
**निर्वाचन विभाग**

क्रमांक – एफ.8(2)(6)/निर्वा/2018/11969 जयपुर, दिनांक – 5/11/2018

प्रेषकः **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), जयपुर

**विषय – मतदान दलों के कर्मियों को मतदान दिवस के आगामी दिन (08.12.2018) का उपस्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने/यात्रा दिवस/ड्यूटी के रूप में मानने के संबंध में।**

**प्रसंग – भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 576/11/94/JS.II दिनांक 15.11.1994**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधानसभा आम चुनाव–2018 हेतु नियुक्त किये गये मतदान दलों के कार्मिकों को मतदान दिवस के आगामी दिन (08.12.2018) का उपस्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने/यात्रा दिवस/ड्यूटी लीव के रूप में मानने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुसार चुनाव कार्मिकों को मतदान दिवस/पुर्नमतदान दिवस की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मतदान केन्द्र से चुनाव सामग्री यथा ईवीएम मशीने/वीवीपेट मशीनें, अन्य चुनावी दस्तावेज एवं सामग्री जमा करवाने हेतु मतदान केन्द्र से विभिन्न संकलन केन्द्रों तक पहुंचने, तथा सामग्री जमा करवाने एवं लेखा अनुभाग से मतदान दलों का भत्ता प्राप्त करने में लगभग 8–10 घण्टे का समय लग जाता है । उक्त सभी कार्य करने के पश्चात चुनाव कार्मिकों को साधनों के अभाव में अपने मुख्यालय पर पहुंचने में काफी समय व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगले दिवस ड्यूटी पर पहुँचने में कार्मिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये हैं:–

"That the day following the date of poll, and in the case of re-poll, the date following the date of re-poll as the case may be, will also be treated as period of election duty and the polling personnel will not be required to report for duty in their normal place on such day. For instance, if the date of poll in 15th December and the polled ballot boxes, etc., are reached at the receiving centre on 15th/16th December by the Presiding Officer/Polling Officers, such officers will not be treated as absent from their normal duty if they do not report for their duty on 16th December, after completion of the election duty but report on 17th December, for their normal duties. In areas where the travelling time is longer, suitable allowance will be futher made for this and the day following the date of deposit of polled material, etc. shall be treated as duty period."

कृपया उक्तानुसार आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com